2017 - 2018

SANGRUL EDUCATION SOCIETY'S

S.B. KHADE MAHAVIDYALAYA, KOPARDE

TAL- KARVEER, DIST. KOLHAPUR (MAHARASHTRA)

(AFFILIATED TO SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR)

ONE-DAY NATIONAL SEMINAR

ON

THE PORTRAYAL OF SUBALTERNS IN INDIAN LITERATURE

ORGANISED BY

DEPARTMENTS OF MARATHI, HINDI AND ENGLISH

Certificate

his is to certify that Prof./Dr./Shri./Smt. मुजावर एम. एस of

ाबाई शांताप्पा शेंडूरे कॉलेज हुपरी has participated/delivered lecture as a Resource Person / chaired session as a

airperson / presented paper entitled नारी शिक्षा और नारी सबलीकरण

a One day National Seminar on "The Portrayal of Subalterns in Indian Literature" on Tuesday, 20th February, 2018.

Asso. Prof. S. S. Chougale	Asso. Prof. S. B. Raut	Asso. Prof. S. V. Sutar	Dr. D. D. Kurlapkar
Co-ordinator	Co-ordinator	Convenor	Principal

प्रा. मारूफ मुजावर

अध्यक्ष, हिंदी विभाग

चंद्राबाई शांताप्पा शेडुरे कॉलेज, हुपरी
जि.कोल्हापुर

मोबा. :– 9822780357

'नारी शिक्षा और नारी सबलीकरण'

नारी शिक्षा नारी और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोडनेवाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्री को पुरूषों की तरह शामिल करने से जुडा है। तो दूसरे रूप में यह स्त्री के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पध्दती को जोडता है। भारत में मध्य और पुर्नजागरण काल के दौरान स्त्री को पुरूषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। आज यह बात मान्य है की, स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना पुरूष। यह सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानों का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

भारत में वैदिक काल से ही नारी के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार था। भारत में ऐसा समय भी आया जबकी नारी और निम्न जाति के लिए वेदों को पढने पर पाबंदी लगाई गयी। परन्तु यह धारणा बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रही। मुगल कालखं डमें भी अनेक विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1854 में नारी शिक्षा को स्विकृत किया गया था। कलकत्ता के विश्वविद्यालय नारी को शिक्षा के लिए स्वीकार करनेवाला पहला विश्वविद्यालय था।

सन 1857 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं और पुरूषों के समान वेतन कराया गया। इसी के साथ विश्वभर में नारी मुक्ति आंदोलनों की शुरूआत हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका में उसके बाद 1859 में पीटर्सबर्ग में अंगला आंदोलन हुआ। 1908 में. 'वीमेन्स' 'फ्रीडम लीग' की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मॅमड क्यूरी सहित तीन महिलाएँ फ्रान्स में पहली बार मंत्री बने। इस प्रकाश विश्व के अनेक देशों में इस आंदोलन की शुरूआत हो चुकी थी। लेकिन 1951 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में नियम पारित किया गया। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नारी मुक्ति के आंदोलन की परम्परा तभी से मानी जाती है। 1975 में पूरे विश्व में अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, आगे यह हर वर्ष मनयाचा जाने लगा।

भारत में इस विचार की शुरूआत नवजागरण के साथ हुई। राजा राम मोहन राय ने 1818 सती प्रथा को गैर कानूनी माना। बालविवाह, विधवा विवाह और बहुपत्नीत्व को विरोध करते हुऐ स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री–शिक्षा पर जोर दिया।

साहित्य में नारी विमर्श के अन्तर्गत नारीद्वारा लिखा गया और नारी के विषय में लिखा गया साहित्य का तर्क दिया जाता है। नारी विमर्श के सम्बध्द में यह विवाद का विषय रहा है कि यह नारी को प्राधान्य देता है। इस मत को लेकर विरोधाभास स्थिती है।

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरूषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी. सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं।

प्रश्न है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकती है? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिप हैं। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है। समानता, स्वतंत्रता के साथ–साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानून, अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। महिलाओं को इतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र भी इसलिए किया गया की न वह शिक्षित होंगी और न वह अपने अधिकारों की मांग करेगी, यानी, उन्हे दोयम दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सहुलियत होगी। इसी वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। हाल मे वर्षों मे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों एवं स्वाभाविक सामाजिक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिस कारण बालिका शिक्षा परे रखना संभव नहीं रहा है। इसके बावजूद सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से शिक्षा को किसी ने प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पर रखकर इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया। कई सरकारी एवं गैर सरकारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है और उनके लिए प्राथमिक स्तर पर अभी विषम परिस्थितियॉ हैं। यानी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें बालिकाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियॉ निर्मित करने की सोच नहीं दिखती। महिला शिक्षकों की कमी एवं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होने से बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर बालकों की तुलना में बालिकाओं की शाला त्यागने की दर ज्यादा है। यद्यपि प्राथमिक स्तर की पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही कई कमियां हैं।

प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानिय स्तर पर होती है। इस वजह से बड़े अधिकारी या राजनेता प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों, जरूरतों से लगातार वाकिफ नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतः यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें. चूंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिती बदतर है, इसलिए गावों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर खास जोर देने की जरूरत है।

73 वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पिछले 10–15 वर्षों में शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरूष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों पर जोर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरूआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरूषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। आज भी अधिकांश जगहों पर महिला पंच–सरपंच मुखर तो हुई हैं पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। इसके

बावजूद महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दोंपर कार्य की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के कई पंचायतों में आशा की किरण दिख रही है। मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव हुआ था इसलिए बदलाव की बयार भी सबसे बेहतर यहीं दिख रही हैं। झाबुआ, सतना, होशंगाबाद, हरदा सहित कई जिलों के कई पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों ने सामाजिक मुद्दों पर कार्य शुरू कर दिया है। खासतौर से शिक्षा के प्रति उनमें मुखरता आई है। अंततः महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पश्ट कहना है कि शिक्ष ामें ही गांव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करनेवाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता हैं।

भारत का प्राचीन आदर्श नारी के प्रति अतीव श्रध्दा और सम्मान का रहा है। प्राचीन काल से नारियों घर–गृहस्थी को ही देखती नहीं आ रही, अपितु समाज, राजनीति, धर्म, कानून, न्यास सभी क्षेत्रों में वे पुरूष की संगिनी के रूप में सहाय्यक व प्रेरक भी रहीं है। परंतु समय के बदलाव के साथ नारी पर आत्याचार व शोषण का आतंक भी बढ़ता रहा है। नारी पारिवारिक ढ़ॉचे की यथास्थिति से समझौता करती करती रही है या फिर सन्तानविहीन व बन्ध्या जीवन व्यतीत करने कों मजबूर हुई है। यहॉ तक कि नारी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी स्तरों पर उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है। जब बात शैक्षणिक शोशण की होती है तो एक ही सवाल मन में उठता है कि अगर नारी को शोषण और अत्याचारों के दायरे से मुक्त करना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा चूंकि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता अपितु शिक्षा का अर्थ जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी होना है व अपने मानवीय अधिकारो का प्रयोग करने की समझ होना है। शिक्षा सफलता की कुँजी है। बिना शिक्षा के जीवन अपंग है। जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा एक विभूति है और शिक्षित विभूतिवान। जहॉ आज समाज का एक नारी–वर्ग शिक्षित होकर समाज मं अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, परत्नु वहॉ एक वर्ग ऐसा भी देखने को मिलता है जो आज भी अशिक्षा के दायरे में सिमट कर मूक जीवन व्यतीत कर रहा है, और सवाल यह उठता है कि उनकी स्थिति में कितना सुधार हो रहा है? हम प्रत्येक वर्ष महिला–दिवस बहुत धूमधाम और खुशी से मनाते हैं पर उस नारी–वर्ग की खुशियों का क्या जो अशिक्षा के कारण अपने मानवीय अधिकारों से वंचित महिला–दिवस कें दिन भी गरल के ऑसू पीती है। ऐसे अभाव में पुरूष स्वयं को शिक्षित, सुयोग्य एवं समुन्नत बनाकर नारी को अशिक्षित, योग्य एवं परतंत्र रखना चाहता है। शिक्षा के अभाव में भारतीय नारी असभ्य, अदक्ष अयोग्य, एवं अप्रगतिशील बन जाती है। वह आत्मबोध से वंचित आजीवन बंदिनी की तरह घर में बन्द रहती हुई चूल्हे–चौके तक सीमित रहकर पुरूषों की संकीर्णता का दण्ड भोगती हुई मिटती चली जाती है। पुरूष नारी को अशिक्षित रखकर उसके अधिकार तथा अस्तित्व का बोघ नही होने देना चाहता। वह नारी को अच्छी शिक्षा देने के स्थान पर उसे घरेलू कामकाज में ही दक्ष कर देना ही पर्याप्त समझता है। प्राचीन काल से ही नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण रहा है, नारियों के लिए पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हें कोई नौकरी–चाकरी तो करनी नहीं, न किसी घर की

मालकिन बनना है, उसके लिए तो घर 'गृहस्थी' का काम सीख लेना ही पर्याप्त है।' एक तरह से समाज की यह विचारधारा ही शैक्षणिक शोषण के आधार को और भी मजबूत कर देती है।

शैक्षणिक शोषण के अन्तर्गत बेटियों को विद्यालय भेजने की जगह उनसे घरेलू कामकाज करवाना, अभिभावकों द्वारा बालिका–मजदूरी करवाना, बेटी के पराया धन के रूप मान्यता, बेटे व बेटी में अंतर करके बेटी को शिक्षा से वंचित कर देना आदि मानसिकताओं को लेकर नारी का शैक्षणिक शोषण होता आया है। अशिक्षा के कारण एक गृहिणी होते हुए भी सही अर्थों में गृहिणी सिध्द नहीं हो पाती है। बच्चों के लालन–पालन से लेकर घर की साज–संभाल तक किसी काम में भी कुशल न होने से उस सुख–सुविधा को जन्म नहीं दे पाती जिसकी घर में उपेक्षा की जाती है। नारी परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनी रहती है कि नारी को घर का काम काज ही देखना होता है, तो उसे शिक्षा की क्या आवश्यकता है? परिवार का मानस एक ऐसी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाता है, जिसमें नारी को न तो पढ़ने, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, कुसंस्कारों से ग्रस्त होकर अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है। अगर नारी शिक्षित होकर एक कुशल इंजीनियर, लेखिका, वकील, डॉक्टर भी बन जाती है, तो भी कई बार पति व समाजद्वारा ईष्यावश उसका शैक्षणिक शोषण किया जाता है। परिणामस्वरूप नारी को शिक्षित होते हुए भी पति का अविश्वास झेलकर आर्थिक, मानसिक व दैहिक रूप से उत्पीडित होना पडता है।

नारी को समाज में उसका उचित स्थान दिलवाने के लिए एक और राजा राममोहन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महान सुधारकों ने भरसक प्रयत्न किये, परतुन आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता है। आज भी समाज में किसी न किसी रूप में नारी का शैक्षणिक स्तर पर शोषण किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और छेड़छाड़, घरों, सड़कों, बगीचों, कार्यालयों सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि के जो ामले प्रकाश में आते हैं, उनमें से अधिकांश सबूतों के अभाव से टूट जाते हैं। बालविवाह की त्रासदी अनेक कन्याएं भोग रही हैं जो चाहे इन सभी का कारण नारी को अशिक्षित नारियों को पढ़ाकर अपने अर्जित ज्ञान व विकसित क्षमता का लाभ पूरे परिवार को दे सकती है। नारी सशक्ती करण की आधारशिला भी शिक्षा ही है। शिक्षा द्वारा नारी सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास कर सकती है, परन्तु आज नारी–सशक्ती करण के क्षेत्र की मुख्य बाधाएँह" जैसे – महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासहीनता, सामाजिक कुरीतियां तथा पुरूषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि। अन सभी समस्याओं से निजात दिलवाने का एक मात्र साधन शिक्षा ही है इसलिए समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि नारी शिक्षा की दिशा में ठोस प्रयास के बिना समान का सन्तुलित विकास संभव नहीं है। इसलिए नारी–शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चलाये जा रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाने का वास्तविक अर्थ उसे प्रगतिशील और सभ्य बनाना है ताकि उसमें तर्क शक्ति का विकास हो सके। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार की व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वयं का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे सकती है। शैक्षणिक स्तर पर कन्या शिक्षा की सर्दव से ही उपेक्षा की जाती रही है व उसे केवल घरेलू कामकाजों को सीखने तथा पुत्र सन्तान को जन्म देने के सन्दर्भ में

ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए नारी सबसे पहले पूर्णता शिक्षित हो तभी वह शोषण व अत्याचारों के चक्रव्यूह से निकल कर मानवी का जीवन व्यतीत कर सकेगी।

सन्दर्भ सूची :–

1) भारत में नारी शिक्षा – जे. सी. अग्रवाल

2) इक्कीसवी सदी की ओर – सुमन कृष्णकांत

3) आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन – डॉ. जे. पी. सिंह

4) https//hi.wikipedia.org – स्त्री शिक्षा

5) http://books.google.com